



**बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)**

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014

संख्या-व.सं./02/2022 - 394

प्रेषक,

नन्द कुमार मांझी
उप वन संरक्षक।

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, छपरा।

पटना 14, दिनांक- 01/06/2023

विषय - भारतमाला परियोजना के तहत वैशाली, समस्तीपुर जिलान्तर्गत कल्याणपुर-ताल दशहारा (0.00-47.50 कि०मी०) पथांश निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 3.042 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग - भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/ROAD/144718/2021/904 दिनांक 10.02.2023 इस कार्यालय का पत्रांक 126 दिनांक 21.02.2023 (छायाप्रति संलग्न)।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार ने विषयाधीन परियोजना के निर्माण हेतु 3.042 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर दो भाग (भाग-A एवं B) में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग-A में 1-9 शर्तें तथा भाग-B में 1-9 शर्तें अधिरोपित है जिसका कंडिकावार अनुपालन आपके स्तर से अपेक्षित है।

2. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग-A के शर्त संख्या 1 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं वर्तमान मजदूरी दर पर क्षतिपूरक वनीकरण मद में रु० 35,36,526/- (रुपये पैंतीस लाख छत्तीस हजार पाँच सौ छब्बीस) मात्र का मांग किया गया था जो मजदूरी दर रु० 373/- प्रतिमानव दिवस पर आधारित था।

3. श्रम संसाधन विभाग, बिहार के द्वारा दिनांक 01.04.2023 से मजदूरी दर संशोधित करते हुए रु० 388/प्रतिमानव दिवस कर दिया गया है। क्षतिपूरक वनरोपण प्राक्कलन को रु० 388/प्रतिमानव दिवस पर संशोधित करने पर रु० 36,78,746/- (रुपये छत्तीस लाख अठ्ठतहर हजार सात सौ छियालीस) मात्र होता है जो प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।

4. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग-A के शर्त संख्या 2 के आलोक में परियोजना निर्माण के क्रम में 3.042 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि का NPV की राशि 9.57780 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रु० 29,13,567/- (रुपये उनतीस लाख तैरह हजार पाँच सौ सडसठ) मात्र NPV के मद में प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।

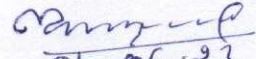
5. उपर्युक्त CA एवं NPV मद की कुल राशि रु० 65,92,313/- (रुपये पैसठ लाख बानवें हजार तीन सौ तैरह) मात्र को मंत्रालय के वेब-साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांसफर कर राशि जमा कराई जाय।

6. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को UTR No एवं दिनांक के साथ e-challan की मूल प्रति दी जाय।

7. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र के भाग-A में सन्निहित 1-9 शर्तें तथा भाग-B में सन्निहित 1-9 शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,


01.06.23

(नन्द कुमार मांझी)

उप वन संरक्षक।